—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 36/2019

उनवान

1. सत्यनारायण पुत्र रामलाल
2. चेतन पुत्र रामलाल,
3. मंजू उर्फ छउ,
4. रेखा उर्फ फूमा,
5. कमला उर्फ जयकारी,
6. संतोष पुत्री रामलाल,
7. करमा पुत्री रामलाल जाति खाती नि0 भटियानी, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. हीरा पत्नी रामलाल,
2. सूरजकरण,
3. राजू,
4. धनराज,
5. सुरेन्द्र पि. रामलाल,
6. बोराज,
7. कालूराम पि. घीसा,
8. कंचन पत्नी शिवराज,
9. नौसर पत्नी गोरधन जाति जाट नि0 भेटियानी, नसीराबाद,
10. उप पंजीयक, नसीराबाद,
11. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 10 व 11 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

—: आदेश :— दिनांक :— 21.7.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हनुवतिया में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की पुश्तेनी/खातेदारी काश्तकारी की आराजी सिति हे जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

चौसाला खसरा नम्बर	रकबा	वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
36	1—10—0	66 मिन	[illegible]—10—[illegible]	104 104/2555	0.25 0.03
38	6—8—10	45 मिन	0—11—0	58 58/2550	[illegible]8 [illegible]0

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:32:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

		46 मिन	1—16—10	57	0.31
		48 मिन	4—1—0	55	0.38
				53	0.31
40	4—2—0	45 मिन	0—1—10	58	0.08
				58 / 2550	0.10
		46 मिन	0—1—10	57	0.31
		47 मिन	0—3—10	53	0.01
				54	0.02
		48 मिन	0—4—0	55	0.38
				53	0.31
		49 मिन	1—7—0	60 मिन	1.16
		51 मिन	1—7—0	61	0.66
				62	0.40
				63	0.07
		52 मिन	0—6—10		
		54 मिन	0—7—10		
		55 मिन	0—3—10		
41	5—17—0	49 मिन	5—15—0		
		51 मिन	0—2—0	61	0.66
				62	0.40
				63	0.07
42	6—12—10	50 मिन	0—1—10	60 मिन	0.01
		51 मिन	6—10—0	61	0.66
				62	0.40
				63	0.07
		49 मिन	0—1—0	60 मिन	1.16
57	0—3—10	62 मिन	0—3—10	97	0.18
				96	0.11
				95	0.03
58	0—15—10	62 मिन	0—15—10	97	0.18
				96	0.11
				95	0.03

उक्त आराजी के चौसाला खसरा नम्बर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के पूर्वज मांगीलाल के नाम चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2025 से 2028 व वंकिग जमाबंदी में खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के पूर्वज मांगीलाल की मृत्यु हो गय है जिसके वारिस प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 7 ही हैं मांगीलाल द्वारा उक्त पुश्तेनी आराजी को विधि विरूद्व तरीके सेअप्रार्थी संख्या 1 से 7 के नाम जरियें वसीयत दिनांक 19.12.1989 को कर दिया। तथा राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा त्रुटिपूर्ण तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के नाम अंकित कर दी गयी। तथा आराजी मुतनाजा का बैचान गेर कानूनी तरीके से अप्रार्थी संख्या 8 व 9 के पक्ष में कर दिया गया। जिस करण अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास [illegible] दखलदांजी कर रहे है व अन्यत्र हसतांतरण कने पर आमादा है। अतः अप्रार्थी [illegible] को पाबंद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:32:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर [illegible] तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 9 प्रकरण में अनु[illegible]कार ने इस प्रकरण में जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार आराजी मुतनाजा हालल राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हैं। वंर्किग जमाबंदी व चौसाला जमाबंदी में आराजी मुतनाजा मांगीलाल पुत्र सवाई के नाम खातेदारी दर्ज थी। तत्कालीन खातेदार मांगीलाल द्वारा आराजी मुतनाजा जरियें पंजीबद्व वसीयत दिनांक 19.12.89 को प्रतिवादी के पक्ष में कर दी थी। प्रार्थीगण द्वारा उक्त पंजीबद्व वसीयत के विरूद्व किसी न्यायालय में कोई चाराजोही नही की हैं भूमि के खातेदार मांगीलाल द्वारा अपना हिस्सा जरियें पंजीबद्व वसीयत हस्तातरित किया है। 1989 के दस्तावेज के विरूद्व प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थीगण राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसी कोई विषम परिस्थितियॉ सिद्व नही की हे लिजसके आधार पर उन्हे पाबंद करना अनिवार्य आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण ने अपने कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नही किये हैं। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :–

विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा के तत्कालीन खातेदार द्वारा 19.12.89 को ही जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र आराजी मुतनाजा का हस्तांतरण कर दिया था। हाल राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार को पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थी द्वारा शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही सिद्व होगे।ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :–

न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी विरूद्व प्रार्थी सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :–अतः ग्राम हनुवतिंया की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:32:53 IST
Reason: SelfAttested